स्पीड पोस्ट

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : एफ 2(6) संस्था/रालोसेआ /16–17/8990 दिनांक :27/02/2020

कार्यालय आदेश

आयोग कार्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 उत्तीर्ण करने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार आयोग कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में न्यूनतम नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) राशि रू. 14600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर लिपिक ग्रेड–।। पद पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का वर्ग	चयन वर्ग	आयोग हेतु अस्थाई मेरिट क्रमांक	जन्म दिनांक
1	कु. सुचित्रा फेनिन	ओबीसी, महिला	सामान्य	1	10.05.1994
2	श्री प्रवीण कुमार रत्नावत	सामान्य	सामान्य	2	13.12.1995
3	श्री प्रकाश चंद तेली	ओबीसी	सामान्य	3	05.04.1996
4	श्री मनोज बैन्दा	ओबीसी	सामान्य	4	15.10.2000
5	श्री देवेन्द्र कुमार जांगिड़	ओबीसी	सामान्य	5	05.07.1991
6	श्री पवन कुमार सुथार	ओबीसी	सामान्य	6	27.07.1992
7	श्री भागीरथ बाना	ओबीसी	सामान्य	7	10.07.1995
8	श्री परमेश्वर कुमार सैनी	ओबीसी	सामान्य	8	01.08.1997
9	श्री राहुल कुमार शर्मा	सामान्य	सामान्य	9	05.11.1995
10	श्री ललित कुमार सैनी	ओबीसी	सामान्य	10	08.07.1994
11	कु. सारिका शर्मा	सामान्य, महिला	सामान्य	11	15.07.1995
12	श्री पुखराज पालीवाल	सामान्य	सामान्य	12	06.04.1996
13	कु. पूजा विश्नोई	ओबीसी, महिला	सामान्य	13	02.06.1998
14	श्री वैभव जैन	सामान्य	सामान्य	14	02.11.1994
15	श्री रामदेव डूडी	ओबीसी	ओबीसी	15	15.09.1998
16	कु. सुमन मण्डा	ओबीसी, महिला	ओबीसी	16	13.05.1998
17	श्रीमती सरोज विश्नोई	ओबीसी, महिला	ओबीसी	17	13.07.1992
18	श्री कृष्ण मुरारी	एम.बी.सी	एम.बी.सी.	18	02.05.1995
19	श्री मुकेश कुमार वर्मा	अ.जा.	अ.जा.	19	28.06.1996
20	श्री पंकज धोलपुरिया	अ.जा.	अ.जा.	20	30.06.1996
21	श्री प्रदीप कुमार	अ.जा.	अ.जा.	21	19.06.1997
22	श्री अशोक कुमार न्यालिया	अ.जा.	अ.जा.	22	10.07.1995
23	श्री सुरेश	अ.जा.	अ.जा.	23	02.02.1999
24	श्री पारस धोलीवाल	अ.जा.	अ.जा.	24	02.08.1995
25	कु. सीमा मीना	अ.ज.जा., महिला	अ.ज.जा.	25	16.01.1995
26	श्री गोविन्द भेडोलिया	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	26	26.09.1990
27	कु. एकता	अ.जा., महिला	अ.जा.	27	12.12.1995
28	श्री राहुल मीणा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	28	18.11.1994
29	श्री धनराज मीना	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	29	04.07.1998
30	कु. नेहा सोरेला	अ.जा., महिला	अ.जा.	30	19.12.1997
31	सुश्री संगीता टेलर	ओबीसी, डीवी, महिला	सामान्य	31	02.06.1992
32	श्री रतन लाल कुमावत	ओबीसी, एल.डी./सी.पी.	ओबीसी	32	06.10.1989
33	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत	सामान्य, भू. सैनिक	सामान्य	33	05.04.1982
34	श्री मुकेश चंद यादव	ओबीसी, एच.आई.	ओबीसी	34	13.08.1987
35	श्री सुरेन्द्र सिंह	ओबीसी, भू. सैनिक	ओबीसी	35	17.01.1983
36	श्री सुरेन्द्र सिंह कुलड़िया	ओबीसी, भू. सैनिक	ओबीसी	36	15.07.1980

शर्तें:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे । निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय सत्यापित प्रतियों के प्रस्तुत करना होगा, ताकि आयोग स्तर पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति (यदि लागू हो तो) लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

4. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षाअवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही लिपिक ग्रेड–।। पद की पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते इत्यादि देय होंगे।
7. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. शासन के कार्मिक (क–2) विभाग, राज0, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.06.03 के तहत् दिनांक 01.01.04 को अथवा इसके पश्चात् नई भर्ती / नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. वित्त विभाग (नियम डिवीजन), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 14.01.04 के अनुसार दिनांक 01.01.04 को अथवा इसके पश्चात् नई भर्ती / नियुक्ति पर राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2008 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है। उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होंगे।
12. उपरोक्त नियुक्ति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता / प्रशैक्षणिक योग्यता / आयु / वर्ग / अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की भौतिक जांच के उपरान्त चयन स्पष्ट होने के अध्यधीन रहेगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम / उपनाम / विवाह संबंधी शपथ–पत्र / धूम्रपान नहीं करने / दहेज नहीं लेने / दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ–पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
14. संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन संबंधी कार्यवाही आयोग में कार्यग्रहण के उपरान्त की जावेगी तथा पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
15. उक्त सूची में अंकित क्रम संख्या ही आयोग में चयनित अभ्यर्थियों का अस्थाई मेरिट क्रमांक है। भर्ती प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाने के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गई स्थाई मेरिट क्रमांक ही आयोग की स्थाई मेरिट मान्य होगी। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आयोग को आवंटित स्थाई मेरिट क्रमांक के अनुसार अवधारित होगी।
16. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(आशीष गुप्ता)
सचिव